कार्यक्रम

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सेमिनार में बोले उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष

'संविधान की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता'

संवाद न्यूज एजेंसी

देहरादून। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय एवं उत्तराखंड मानव अधिकार संरक्षण केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में 'मानव के लिए प्रौद्योगिकी और साइबर सोसायटी में सुरक्षा' विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर मानव सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मानव अधिकार संरक्षण रत्न अवार्ड से नवाजा गया।

कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष व न्यायमूर्ति (सेनि.) यूसी ध्यानी ने बतौर मुख्य अतिथि की। ध्यानी ने कहा, संविधान सर्वोपरि है और किसी भी कानून द्वारा संविधान में दी गई शक्तियों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है।

उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करते न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी व अन्य। संवाद

उन्होंने जिनेवा डिक्लेरेशन का जिक्र करते हुए कहा, यदि सरहद पर युद्ध के बीच शांति का झंडा फहराया जाए तो फिर एक देश की सेना दूसरे देश के सैनिकों के साथ युद्धबंदी के रूप में ही व्यवहार करेगी, यहां भी मानव अधिकारों को संरक्षित किया गया है।

उन्होंने अजमल कसाब का जिक्र करते हुए कहा, वह एक आतंकवादी था एवं पाकिस्तान का नागरिक था। इसके बावजूद चूंकि वह भारतीय कानूनों के अंतर्गत बंदी था, अतः उसको ट्रायल एवं दोषसिद्धी के बाद ही फांसी की सजा दी गई। उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य आरएस मीणा ने कहा, आज पुलिस के सामने साइबर अपराध अन्य सभी प्रकार के अपराधों से अधिक चुनौती बनकर उभरा है। साइबर अपराधी डीपफेक और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के माध्यम से आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है।

पद्मश्री डॉ. आरके जैन ने कहा, दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज इंटरनेट के माध्यम से साइबर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है।

इन्हें किया गया सम्मानित

कार्यक्रम में अशोक वर्मा, डॉ. देवेंद्र भसीन, विनय कुमार, डॉ. बृजमोहन शर्मा, मनमोहन कंडवाल, डॉ. श्रीगोपाल नारसन, डॉ. तृप्ति जुयाल सेमवाल, डॉ. ललिता, डॉ. मुकुल शर्मा, डॉ. जितेंद्र डंडोना, नवीन थलेड़ी, रजत अग्रवाल और सरफराजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया।